

(43)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर।
पत्रांक 1275/22-1 गौतमबुद्धनगर, दिनांक 19-09-2024।

सेवा में,

श्री रमेश शर्मा,
सचिव,
अर्पाटमेन्ट ओनर्स एशोशिएशन,
कम्यूनिटी सेंटर-1, केन्द्रीय विहार-2, प्लॉट सं0-3,
सैक्टर-82, नोएडा।

विषय:- केन्द्रीय विहार (पार्क) सैक्टर-82, नोएडा में वृक्ष के पातन करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- केन्द्रीय विहार-2, अर्पाटमेन्ट ओनर्स, एशोशिएशन, नोएडा का पत्र 58 दिनांक 27.04.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में केन्द्रीय विहार (पार्क) सैक्टर-82, नोएडा में स्थित 01 वृक्ष की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी की जांच के अनुसार उक्त 01 संख्यक वृक्ष का विवरण निम्न प्रकार है:-

क0सं0	प्रजाति	गोलाई से0मी0में	वृक्षों की संख्या	अभ्युक्ति
1	सेमल	270	01	पातन किया जाना है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिकन्दराबाद के द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के अनुसार अवगत कराया गया कि केन्द्रीय विहार (पार्क) सैक्टर-82, नोएडा में 01 वृक्ष स्थित है जो कि अत्याधिक झुका हुआ है, जिससे जान-माल की क्षति होन की सम्भावना है। उक्त 01 वृक्ष के पातन की संस्तुति क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी द्वारा की गयी है।

उक्त 01 वृक्ष के पातन का अनुमति शुल्क ई-3 संख्या 2721/77 दिनांक 17.09.2024 द्वारा धनराशि रू0 100.00 रेंज कार्यालय दादरी में जमा करायी गयी।

उक्त 01 वृक्ष को काटने के पश्चात पर्यावरण की दृष्टि से दस गुने पौधों का रोपण करेंगे एवं रोपित किये गये पौधों का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी को करायेंगे।

अतः उपरोक्त 01 वृक्ष के पातन की अनुमति प्रदान की जाती है। यह अनुमति इस पत्र के जारी होने के 07 दिन तक वैध होगी, तत्पश्चात उक्त अनुमति स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्वामित्व विवाद के सम्बन्ध में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। यदि लकड़ी का अभिवहन ग्राम सभा से बाहर किया जाता है तो अभिवहन करने से पूर्व अभिवहन नियमावली के अनुसार अभिवहन पास सम्बन्धित रेंज से प्राप्त करना होगा।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक

/22-1

उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।